जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-08.08.2025**

एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना कैराना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत कैराना-खुरगान मार्ग पर हुई युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल अवैध तमंचा मय कारतूस, आलाकत्ल अवैध चाकू व मोटर साईकिल बरामद।

ज्ञात हो आज दिनांक 07.08.2025 को समय करीब 09.40 बजे शहनवाज पुत्र जमील निवासी ग्राम झारा गढ़ी थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा अपनी पत्नी के साथ मो0सा0 प्लेटिना रजि0नं0 HR42F0341 से अपनी पत्नी की रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जा रहे थे। ग्राम ईस्सोपुर खुरगान से पहले कैराना-खुरगान मार्ग पर 02 मो0सा0 पर सवार तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शहनवाज उपरोक्त को रोककर गर्दन पर चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल को उपचार हेतु सीएचसी कैराना ले जाया गया जहाँ पर चिकित्सक द्वारा शहनवाज उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक शामली व अन्य अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड़ यूनिट द्वारा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किये गये है। मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 473/2025 धारा 103(1)बीएनएस बनाम मो0सा0 सवार तीन -चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक शामली व क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में टीमें गठित की गयी है।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना कैराना की संयुक्त त्वरित कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत कैराना-खुरगान मार्ग पर हुई युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध आलाकत्ल चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः- अभियुक्त तसव्वर व मृतक शहनवाज मौसेरे भाई है। मृतक शहनवाज की पत्नी व अभियुक्त तसव्वर के मध्य प्रेम प्रसंग था जिसकी जानकारी मृतक शहनवाज को हो गयी थी। मृतक शहनवाज द्वारा इस बात का विरोध किया था तो तसव्वर उपरोक्त द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर आज दिनाँक 07.08.2025 को शहनवाज की हत्या कर दी। विवेचना के क्रम में वादिया/मृतक की पत्नी का घटना में संलिप्त होना पाया गया है, जिसको पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में लिया गया है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.तसव्वर पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली हाल पता ग्राम सरुरपुर थाना सरुरपुर जनपद बागपत।

2.सुऐब पुत्र फरमान निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.घटना में प्रयुक्त एक अवैध आलाकत्ल चाकू।

3.घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 07.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.ताविस पुत्र मतलूब निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 04 किलो 500 ग्राम डोड़ा पोस्त बरामदः-</u>

आज दिनांक 08.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 04 किलो 500 ग्राम डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.उपेन्द्र कुमार पुत्र कदम सिंह निवासी ग्राम लपराना थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली

2.राहुल कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) 04 किलो 500 ग्राम।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कैराना-खुरगान मार्ग पर हुई युवक की हत्या की घटना में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से मृतक व घटना में प्रयुक्त 02 मोबाईल फोन बरामद।

ज्ञात हो दिनांक 07.08.2025 को समय करीब 09.40 बजे शहनवाज पुत्र जमील निवासी ग्राम झारगढ़ी थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा अपनी पत्नी के साथ मो0सा0 प्लेटिना रजि0नं0 HR42F0341 से अपनी पत्नी की रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जा रहे थे। ग्राम ईस्सोपुर खुरगान से पहले कैराना-खुरगान मार्ग पर 02 मो0सा0 पर सवार तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शहनवाज उपरोक्त को रोककर गर्दन पर चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल को उपचार हेतु सीएचसी कैराना ले जाया गया जहाँ पर चिकित्सक द्वारा शहनवाज उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। थाना कैराना पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली व अन्य अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड़ यूनिट द्वारा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किये गये थे। मृतक शहनवाज की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 473/2025 धारा 103(1)बीएनएस बनाम मो0सा0 सवार तीन -चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना कैराना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त अभियुक्तगण तसव्वर व शुऐब को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल अवैध तमंचा-कारतूस, अवैध चाकू व मोटर साईकिल सहित दिनाँक 07.08.2025 को ही गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के क्रम में मृतक की पत्नी का घटना में संलिप्त होना पाया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कैराना-खुरगान मार्ग पर हुई युवक की हत्या की घटना में लिप्त वादिया मुकदमा/मृतक की पत्नी श्रीमती महफरीन पत्नी शहनवाज निवासी ग्राम झारगढ़ी थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा को मृतक व घटना में प्रयुक्त 02 मोबाईल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-

1.श्रीमती महफरीन पत्नी शहनवाज निवासी ग्राम झारगढ़ी थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त मोबाईल ओप्पो कम्पनी।

2.मृतक का मोबाईल रियल मी कम्पनी।

<u>“आपरेशन क्लीन” अभियान के अन्तर्गत थाना कांधला पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित माल का विनिष्टीकरण थाना कांधला के मालखाने में रखी माल मुकदमाती के 100 अभियोगों से सम्बन्धित करीब 1500 लीटर अवैध शराब के मालो को नष्ट कराये जाने के सम्बन्ध मेः-</u>

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय श्रीमान सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 महोदय कैराना, जनपद शामली के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी शामली श्री अरविन्द चौहान व पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के निर्देशन में थाना कांधला पर आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित मालखाने में रखी 100 मुकदमो की शराब करीब 1500 लीटर को नष्ट कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा आदेश निर्गत किये गए थे। उक्त क्रम में आज दिनांक 08.08.2025 को उप जिला मजिस्ट्रेट कैराना द्वारा नामित श्री सतीश यादव नायब तहसीलदार कैराना, श्री श्याम सिंह क्षेत्राधिकारी कैराना, श्री सतीश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला की मौजूदगी में उक्त 100 अभियोगों से सम्बन्धित करीब 1500 लीटर शराब को नष्ट कराया गया। उपरोक्त मालो को थाना परिसर में खाली स्थान पर नियमानुसार जे.सी.बी के माध्यम से गढडा खुदवाकर नष्टीकरण की कार्यवाही की गयी तथा मालों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गयी।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>